प्रेस नोट-

दिनांक -07.02.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर ज्वेलर्स की दुकानों से जेवर जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-483/2023, धारा 406, 504, 506, 411, 120बी भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अजीमुल्ला उर्फ अजीम पुत्र हफीजुल्ला निवासी मोहल्ला मुट्ठीगंज कस्बा नवाबगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास से बी0बी0डी0 कालेज लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी लकी सोनी पुत्र विनोद कुमार सोनी व मनीष सोनी पुत्र स्व0 हरि ओम निवासीगण मो0नया बाजार कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज को सूचना दिया की दिनाकं 05.10.2023 को शाम 17.00 बजे विपक्षी अजीमुल्ला उर्फ अजीम द्वारा अम्बिका ज्वैलर्स व मनीष सोनी के ज्वैलर्स की दुकान से अपनी शादी के लिए सोने की जेवरात को लेकर अपने घर दिखाने के लिए ले गया किन्तु वापस नही किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-483/2023, धारा 406, 504, 506, 411, 120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.02.2024 को थाना नवाबगंज की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अजीमुल्ला उर्फ अजीम को बी0बी0डी0 कालेज लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अजीमुल्ला उर्फ अजीम पुत्र हफीजुल्ला निवासी मोहल्ला मुट्ठीगंज कस्बा नवाबगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-483/2023, धारा 406, 504, 506, 411, 120बी भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शिवलखन सिंह
02. हे0का0 सुनील कुमार
03. का0 बलराम सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनाकं – 07.02.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-51/2024, धारा 306 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्ता प्रिया यादव पत्नी डा0 देवी दयाल निवासिनी ग्राम न्यू इन्द्रिरा आवास कालोनी गरीबी पुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा को पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को मनकापुर बस स्टैण्ड उतरौला रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्याम नाथ यादव पुत्र स्व0 श्रीराम यादव निवासी न्यू इन्दिरा आवास कालोनी बूढ़ा देवर थाना कोवातली नगर जनपद गोण्डा ने थाना को0नगर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा उसके पुत्र को मानसिक प्रताडित करते थे तथा झूठा मुकदमा दर्ज कराके जेल भेजने की धमकी देते थे जिससे मेरा पुत्र क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0-51/2024, धारा 306 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.02.2024 को थाना को0 नवाबगंज की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्ता प्रिया यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. प्रिया यादव पत्नी डा0 देवी दयाल निवासिनी ग्राम न्यू इन्द्रिरा आवास कालोनी गरीबी पुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-51/2024, धारा 306 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिवाकर मिश्रा
02. म0का0 कविता मौर्या
03. का0 दर्शिल रौनियार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.02.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
दिनाकं 27.08.2023 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त प्रीतम कश्यप पुत्र रामचन्दर निवासी डेलईपुरवा मौजा असरना थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड0 का0 सुनील कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर म0क0 नम्रता चौधरी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा ने 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. प्रीतम कश्यप पुत्र रामचन्दर निवासी डेलईपुरवा मौजा असरना थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-444/23, धारा 8/21ख एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।